न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एम0के0 सिंह**
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1133–चार/99 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–5–98 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर म.प्र. प्रकरण क्रमांक 1266/अ–19/96–97.

मन्नूलाल पुत्र भग्गे गड़रिया
निवासी ढिमरपुरा तहसील निवाड़ी
जिला टीकमगढ़ म.प्र. ..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ..... अनावेदक

श्री एस.के. अवस्थी, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री राजीव गौतम, अधिवक्ता अनावेदक (शासन)

आदेश

(आज दिनांक 2–9 –2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 1266/अ–19/96–97 में पारित आदेश दिनांक 13–5–98 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, निवाड़ी द्वारा दिनांक 27–1–86 के आदेश द्वारा ग्राम घूघसी स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 916/क रकबा 0.500 हैक्टर के भूमिस्वामी अधिकार आवेदन को दिये गये । प्रकरण का परीक्षण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि आवेदक को म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के तहत भूमि पाने की पात्रता नहीं थी । अतः प्रकरण संहिता की धारा 50 के तहत स्वमेव निगरानी में लिया गया और आवेद को कारण बताओ नोटिस जारी किया । तदुपरांत अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार,

निवाड़ी का आदेश दिनांक 27–1–86 निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गए । उनके द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने के पूर्व स्वमेव निगरानी अधिकारों के संबंध में वरिष्ठ न्यायालयों के न्यायिक उद्धरणों पर विचार नहीं किया । जो आधार कारण बताओ सूचनापत्र में दिए गए थे वे आधार तहसील के आदेश को निरस्त करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं । उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है । आवेदक भूमि व्यवस्थापन का पात्र नहीं था । तहसीलदार ने अवैधानिक तरीके से उसके पक्ष में व्यवस्थापन का आदेश दिया गया था ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त ने तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के संबंध में है । अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण को देखते से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकरण की विस्तृत विवेचना के उपरांत यह पाया है कि प्रकरण में जो आदेश पारित किया गया है वह अधिकारिता रहित है क्योंकि आवेदन विधिवत प्रारूप में नहीं दिया गया है तथा जिस भूमि की मांग की गई है उस ग्राम का निवासी आवेदक नहीं है । पटवारी और तहसीलदार ने आवेदक को ग्राम ढिमरपुरा का निवासी बतलाया गया है जबकि भूमि ग्राम घूघसी की है ऐसी स्थिति में चूंकि वे उस ग्राम में निवास नहीं करते हैं इसलिए भूमि पाने के पात्र नहीं है और उसे भूमिस्वामी अधिकार नहीं दिये जा सकते । तहसीलदार का जो आदेश है वह अधिनस्थ न्यायालय ने अधिकारिता रहित माना है जो अभिलेख के अनुसार सही है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्याालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर